



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावली

दिनांक – 06.08.2025

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 90/2025 धारा 69 / 115 (2) / 352 / 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.07.2025 को वादिया द्वारा थाना मण्डावली पर तहरीर दी गई कि वादिया के देवर मुरसलीन पुत्र अनवार द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत कार्य किया गया तथा वादिया द्वारा शादी के लिये कहने पर मुरसलीन व वादिया के ससुर अनवार ने वादिया के साथ गाली – गलौच व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 90/25 धारा 69 / 115 (2) / 352 / 351(2) बीएनएस बनाम मुरसलीन व अनवार उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.08.2025 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त मुरसलीन पुत्र अनवार को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुरसलीन पुत्र अनवार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 80 दीपक कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावली

दिनांक – 06.08.2025

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 96/2025 धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.08.2025 को वादिया (उम्र 17 वर्ष) द्वारा थाना मण्डावली पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त मुसीब उर्फ मुसैब पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम व थाना मण्डावली जनपद बिजनौर, जिससे वादिया पिछले करीब 06 माह से परिचित थी, द्वारा वादिया के साथ गलत कार्य किया गया ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 96/25 धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम मुसीब उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.08.2025 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त मुसीब उर्फ मुसैब पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम व थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुसीब उर्फ मुसैब पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम व थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री रामप्रताप थानाध्यक्ष मण्डावली जनपद बिजनौर
2. व0उ0नि0 श्री योगेंदर सिंह थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 820 कालूराम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 06.08.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किया गया लोहे का पाइप व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 06.08.2025 को वादी मनोरव पुत्र पुत्र देवेन्द्र निवासी मौ० भरत विहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी एवं उसके मौहल्लेवासियों ने अभियुक्तगण 1.सलमान पुत्र रफीक 2.सौहेल पुत्र सलीम निवासीगण मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली शहर



जनपद बिजनौर को राजपूत धर्मशाला मण्डावर रोड बिजनौर से अपनी सिल्वर रंग की INPOWER ई-रिक्शा बिना नम्बर प्लेट में एक लोहे के पाइप जिसकी लम्बाई करीब 15 फीट व वजन लगभग 30 किलो को चोरी करते हुए मौके से पकड़ लिया । इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 671/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सलमान पुत्र रफीक निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.सौहेल पुत्र सलीम निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक लोहे का पाइप (लम्बाई करीब 15 फीट व वजन लगभग 30 किलो)
सिल्वर रंग की INPOWER ई-रिक्शा बिना नम्बर प्लेट (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

- 1.सलमान पुत्र रफीक निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 671/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

- 2.सौहेल पुत्र सलीम निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 671/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 582/2025 धारा 115(2), 324(4), 351(2), 352 बीएनएस थाना कोतवाली शहर बिजनौर

मु०अ०सं० 56/2022 धारा 279, 338 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 06.08.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने सोशल मीडिया (फेसबुक) पर जातिगत टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.08.2025 को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें Prince Seoharvi (Sahil Khan) नामक फेसबुक एवं इंस्टाग्राम आइडी से जाति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक / अभद्र टिप्पणी की गयी। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गयी तो वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र सलाहउद्दीन निवासी मौ० मिलिकयान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के रूप में हुई। इस सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 298/2025 धारा 299, 352 BNS व 66E IT एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

आज दिनांक 06.08.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र सलाहउद्दीन निवासी मौ० मिलिकयान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र सलाहउद्दीन निवासी मौ० मिलिकयान कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.उ०नि० श्री असकर खां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का० 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर